संख्याः 31/2018/857/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2018

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग **लखनऊ : दिनांक : 11 मई, 2018**

विषयः- प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति-2017 के प्राविधानों एवं प्रोत्साहनों के अनुसार प्रदेश में ग्रिड संयोजित सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना, विकास एवं उनके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति2017 मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त प्रख्यापित की गयी है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2017 के प्रस्तर 8.1.2 में संशोधन शासनादेश संख्या-613/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2018 दिनांक 13.04.2018 द्वारा किया गया है। उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-106/87- अति0ऊ0स्रो0वि0/2018 दिनांक 16 जनवरी 2018 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे। इस शासनादेश के प्रस्तर-7 को निम्नवत संशोधित करने का निर्णय सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा लिया गया हैः-

प्रस्तर सं0	वर्तमान व्यवस्था	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था
7	7.(अ) राज्य के बुन्देलखण्ड एवं पूर्वान्चल क्षेत्र में यूपीपीसीएल/विद्युत वितरण कम्पनी को सोलर पावर विक्रय करने हेतु स्थापित की जाने वाली समस्त वृहद सोलर पावर स्टैण्ड अलोन परियोजनाओ से फीड इन सबस्टेशन तक ग्रिड संयोजन अर्थात इन्टर कनेक्शन प्वाईन्ट तक पारेषण तंत्र यथा लाईन, बे इत्यादि का निर्माण यूपीपीटीसीएल अथवा विद्युत वितरण कम्पनी, जिसके भी क्षेत्र में आती है द्वारा किया जायेगा। यूपीपीटीसीएल/ विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा बुन्देलखण्ड एवं पूर्वान्चल क्षेत्र में सब स्टेशन	7 अ. (i) राज्य में बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल क्षेत्र में स्थापना हेतु 05 मेगावाट एवं अधिक क्षमता की सोलर पावर परियोजनाओं के ग्रिड संयोजन हेतु निम्नानुसार क्षमता के अनुसार उल्लिखित किलोमीटर तक के पारेषण लाइन के निर्माण की लागत पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी। 05 मेगावाट से 10 मेगावाट क्षमता के लिए 10 किलोमीटर 10 मेगावाट से अधिक 50 मेगावाट क्षमता तक के लिए 15 किलोमीटर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	तक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु पारेषण लाईन जो निर्माण की जायेगी, की आंकलित लागत उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके सापेक्ष निम्नानुसार क्षमता के अनुसार उल्लिखित किलोमीटर हेतु पारेषण लाईन निर्माण लागत यूपीनेडा द्वारा बजटीय प्राविधान से धनराशि प्राप्त करते हुए यूपीपीटीसीएल/विद्युत वितरण कम्पनी को एक किश्त में हस्तांतरण की जायेगी। कार्यपूर्ण होने के उपरांत यूपीपीटीसीएल/ डिस्कॉम द्वारा धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र यूपीनेडा को उपलब्ध कराया जायेगा। (i) 05 मेगावाट से 10 मेगावाट क्षमता के लिए 10 किलोमीटर । (ii) 10 मेगावाट से अधिक 50 मेगावाट क्षमता तक के लिए 15 किलोमीटर। (iii) 50 मेगावाट की क्षमता से अधिक क्षमता की परियोजना के लिए 20 किलोमीटर। बे, सब स्टेशन एवं पारेषण लाईन की अतिरिक्त लम्बाई यदि हो तो आंकलित लागत परियोजना विकासकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा। परियोजना विकासकर्ता द्वारा अवशेष धनराशि एसटीयू/डिस्कॉम में जमा करायी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त अवशेष शुल्क परियोजना विकासकर्ता द्वारा यूपीपीईआरसी के द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये गये रेग्यूलेशन के अनुसार देय होगी।	50 मेगावाट से क्षमता से अधिक क्षमता की परियोजना के लिए 20 किलोमीटर (ii) सौर ऊर्जा विकासकर्ता द्वारा लाइन का निर्माण उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/वितरण अनुज्ञप्तिधारी पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षण शुल्क जमा कराने के पश्चात् द्विपथ/एक पथ (Double circuit and single circuit) लाइन का निर्माण नियोजन आवश्यकतानुसार किया जायेगा। (iii)सौर ऊर्जा विकासकर्ता द्वारा निर्मित की गयी पारेषण लाइन प्रस्तर 7 अ(i) में अधिकतम उल्लिखित किलोमीटर तक ही प्रोत्साहन धनराशि उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्बन्धित वर्ष में प्रति किलोमीटर लाईन निर्माण हेत जारी की गयी ''दर अनुसूची'' के अनुसार एवं वास्तविक निष्पादित लागत में जो भी कम हो के आधार पर दी जायेगी। यह अनुदान प्रोत्साहन धनराशि परियोजना विकासकर्ता को यूपीनेडा द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में पारेषण लाईन निर्माण और परियोजना कमिशनिंग उपरांत सीओडी प्राप्त होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी। (iv)सौर ऊर्जा विकासकर्ता द्वारा निर्माण सम्बन्धित पारेषण कार्य एवं उक्त हेतु किये गये भुगतान का उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये सत्यापन के आधार पर ही विकासकर्ता को प्रतिपूर्ति के रूप में देय अनुदान सौर ऊर्जा प्रोत्साहन धनराशि का आंकलन करते हुए अवमुक्त की जायेगी। (v)वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) के पश्चात् सौर ऊर्जा विकासकर्ता द्वारा निर्मित लाईन का स्वामित्व उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/वितरण अनुज्ञप्तिधारी का होगा एवं इसका परिचालन एवं अनुरक्षण उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ही किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	7. (ब) प्रस्तर-7 (अ) में प्रयोजन हेतु आंकलित व्यय के अनुरूप वांछित धनराशि "सौर स्रोतो पर आधारित विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन योजना" की मद में बजट प्राविधान से पूंजीगत व्यय के रूप में फण्ड प्रदान किया जायेगा। उपरोक्त धनराशि सम्बन्धित यूपीपीटीसीएल/डिस्कॉम को यूपीनेडा द्वारा हस्तांतरित की जायेगी।	7 ब. प्रस्तर-7 (अ) में प्रयोजन हेतु आंकलित व्यय के अनुरूप वांछित धनराशि ''सौर स्रोतो पर आधारित विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन योजना'' की मद में बजट प्राविधान से पूंजीगत व्यय के रूप में फण्ड प्रदान किया जायेगा। उपरोक्त धनराशि सौर परियोजना विकासकर्ता को अवमुक्त की जायेगी।

2- शासनादेश संख्या-106/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2018 दिनांक 16 जनवरी 2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा इस शासनादेश के अन्य प्राविधान पूर्णतः प्रभावी रहेंगें।

3- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय
आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्याः 31/2018/857(1)**/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2018, तद्दिनांक।**

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. महालेखाकार (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद ।
5. कोषाधिकारी, लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक,यू0पी0पी0टी0सी0एल0,शक्ति भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
10. गार्ड पत्रावली ।

आज्ञा से,
चारूलता
सयुंक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in